राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 17275–466 दिनांक :– 26/10/2017

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– स्वच्छ स्र्वेक्षण 2018 की पूर्व तैयारीयों हेतु दिशानिर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है, कि आपको पूर्व में स्वच्छ स्र्वेक्षण 2018 के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

स्वच्छ स्र्वेक्षण 2018 हेतु नगर निकायों को अपना सेवा स्तर (Service level progress) को बढ़ाते हुये सर्वेक्षण के कुल 4000 अंको में से 1400 अंक निर्धारित है, जिनका बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है।

क.स	पेरामीटर	कुल प्रश्न जिन पर अंको का निर्धारण होना है	weightage	निर्धारित अंक
1.	कचरे का संग्रहण एंव परिवहन (collection and transportation of solid waste)	13	30%	420
2.	कचरे का प्रोसेसिंग एंव डिस्पोजल (processing & disposal of solid waste)	8	25%	350
3.	स्वच्छता (sanitation) खुले में शौच से मुक्ति	11	30%	420
4.	आई.ई.सी.(IEC) एंव व्यवहार में परिवर्तन	7	5%	70
5.	क्षमता संवर्धन(capacity building)	4	5%	70
6.	Innovation/Best practiceses	–	5%	70

क.स.	विवरण	अंक
1. ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धलन के संग्रहण एंव परिवहन हेतु निर्धारित कुल 13 प्रश्नो के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं।		
1.1	कुल उत्पन्न कचरे में से गीले एंव सुखे कचरे का प्रतिशत (segregation at source)	48 अंक
(निकायों को इस हेतु घर–घर कचरा संग्रहण गीले एंव सुखे कचरें के परिवहन हेतु विभाजित वाहनों की संख्या, क्षमता एंव उनके द्वारा लगाये गये फेरो (Trip) की संख्या के आधार पर दैनिक		

रुप से जनित कचरे को इक्ठ्ठा कर परिवहन किये जाने का वास्तविक ड़ाटा तथाकचरेके ट्रांसफर स्टेशन/प्रोसेसिंग प्लान्ट(centralized/decentralized) पर दैनिक टन भार(ton per day) को प्राप्त करते है। का विवरण तैयार करना होगा)		
1.2	बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk waste generator) द्वारा कचरे की स्थलीय कम्पोस्टींग(On-site Treatment)	48 अंक
(निकायों को बल्क वेस्ट जनरेटर {प्रतिदिन 100 किलो व इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले} की सूचि तैयार करना एंव उसका रिकार्ड बनाकर उसमें से कितने बल्क वेस्ट जनरेटर्स कचरे का स्थल पर कम्पोस्ट बनाते हैं। कुल जनित्र वेस्ट से कितने वेस्ट का स्थल पर प्रोसेसिंग किया जाता है। निकाय द्वारा बल्व वेस्ट जनरेटर्स को सूचित करने का पत्र जारी कर On site processing हेतु प्रोत्साहित करना, तथा इस हेतु निकाय द्वारा जारी कोई प्रोत्साहन योजना का विवरण प्रस्तुत करना होगा।		
1.3	व्यवसायिक क्षैत्र (Commercial area) का प्रतिशत जहा रोज, सफाई होती हैं (रात्री सफाई सहित दिन में दो बार वर्ष के प्रत्येक दिवस में)	34 अंक
(निकायो को इस हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक क्षेत्रो की वार्ड़वार सूची बनाकर जिनमें दो बार झाडू व रात को एक बार सफाई कर्मियों द्वारा झाडू लगाना एंव उसका उपस्थिति का विवरण तैयार करना, अगर बाहरी एजेन्सी (Outsourced) से कार्य करवाया जाता हैं तो इस आशय की शर्त उनके अनुबन्ध की शर्तों में ड़ालनी होगी।		
1.4	घर पर कचरा संग्रहण के वार्डों का प्रतिशत	32 अंक
वर्ष 2017 के माह अक्टुबर, नवम्बर, दिसम्बर में वार्णिज्यिक क्षैत्रो एंव आवासीय क्षेत्रो से कचरा संग्रहण हेतु वार्ड़ वार कर्मचारी एंव वाहनो/ऑटोटिपर इत्यादि की संख्या एंव उनकी लोगबुक संधारण एंव प्रत्येक वाहन का रूटचार्ट (Route chart) अगर इस हेतु ठेकेदार के माधम से (Outsource) करवाय जा रहा है, तो अनुबन्ध की शर्तों में इसका प्रावधान (31 अक्टुबर 2017 से पूर्व) एंव उसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी।		
1.5	प्रतिदिन इक्ट्ठा किये गये कचरे का प्रोसेसिंग युनिट तक परिवहन उसी दिन कर उसके निस्तारण का प्रतिशत	32 अंक
निकायों को प्रतिदिन उत्पन्न कचरे को 350–500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानते हुये उसके कलेक्शन का रिकाड़ हेतु वाहनो की सख्या, उनके द्वारा लगाये गये ट्रिप के आधार पर धर्म काटे (Weigh bridge) का रिकार्ड सामिल कर उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।		
1.6	सॉलिड़ वेस्ट मेनेमेन्ट रूल्स 2016 के अनुरूप कचरा बीनने वाले (Waste pickers) का प्रतिशत	32 अंक
(निकायों को इस हेतु सर्वे कर कचरा बीनने वालो की पहचान पत्र कर उनका पहचान पत्र (Id Card) जारी कर वार्ड़वार सूची, अगर कचरा बीनने वालो को अनुबन्धित फर्म के साथ एकीकृत किया गया हो या स्वयं सहायता समुह के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत करनी होगी)		
1.7	कचरा संग्रहण स्थलो (कचरा ड़िपो) का विलोपन	32 अंक
निकायें को सर्वेकर कचरा डिपो/कचरे के ठेरो को खत्म कर उनके पूर्व एंव बाद के फोटो ग्राफ प्रस्तुत करनें होगें)		
1.8	जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (VTS) हेतु र्स्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालो नियमित/अनुबन्ध वाहनो के चालको का सम्मान/प्रोत्साहन व Route chart का अनुसरण करने वाले वाहन/ओटा टिपर का प्रतिशत	30 अंक

(निकायो को कचरा इक्ट्ठा करने व परिवहन मे लगे वाहनो (स्वय के वाहन व किराये के वाहन) की सूचि एंव उनमें VTS लगा होने के दस्तावेज, VTS के आधार पर लागु बुक का संधारण एंव उसका प्रत्येक माह के अन्त में इन्द्राज, VTS के आधार पर खराब प्रदर्शन के लिए लगाई गई Penalty का विवरण GPS आधारित VTS के स्क्रीन सोट का सार्वजनिक ड़ोमेन पर उपलब्ध करवाना इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
1.9	सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अनुरूप व्यवसायिक क्षेत्रो के प्रत्येक 500 मीटर पर नियमित रूप से खाली किये जाने वाले twin Bins की उपलब्धता का विवरण	30 अंक
(निकायों को twin Bins की आवश्यकता अनुसार लगाने की संख्या उनका स्थान एंव उनको खाली करने का विवरण तैयार करना होगा)		
1.10	क्या बायोमेट्रिक्स् उपस्थिति प्रक्रिया को पे – रोल से लिंक किया गया है?	28 अंक
(निकायो को इस हेतु स्टाफ (ऑफिस एंव वार्डों में कार्यरत स्टाफ) का बायोमेट्रिक्ट उपस्थिति का विवरण एंव सर्वेक्षण हेतु दो माह की पे–रोल की प्रति से कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन का विवरण प्रस्तुत करना होंगा)		
1.11	स्पॉट फाइन हेतु अधिसूचना व फाइन के कनेक्शन का संकलन	28 अंक
(निकायो को इस हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्र/निकायो के परिपत्र की प्रति एंव फाइन क्लेक्शन का विवरण तैयार करते हुये चालान की प्रति/रसीद बुक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी)		
1.12	शासकीय/सार्वजनिक विभागों द्वारा संधारित उद्यानो के कचरे से On site composting करने वाले वार्ड़ों/उद्यानों का प्रतिशत	28 अंक
(निकायो को इस हेतु सर्वेकर पार्को की सूची बनाकर उनके संधारित किये जाने वाले विभागो को On site composting हेतु व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर कुल गार्ड़न वेस्ट को खाद में परिवर्तित करने वाले पार्को की संख्या एंव कम्पोस्टपिट/कम्पोस्ट मशीनो को निर्दिष्ट करने के दस्तावेज तथा प्रत्येक पार्क में उत्पादित–खाद की मासिक लोगबुक को सम्बन्धित विभाग द्वारा संधारण करनी होगी)		
1.13	सफाई के कार्यो मे लगे सभी स्वच्छता कर्मियों को (सुरक्षा उपकरण) वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, दस्ताने, बरसाती उपयुक्त जुते तथा मास्क का प्रावधान एंव स्वच्छता कर्मियों द्वारा उनका नियमित उपयोग।	18 अंक
(ठोस अपश्ष्ठि के निपटान हेतु नियोजित कुल कर्मचारी को सुरक्षा उपकरणों का क्रय कर उनको सौपें जाने का विवरण तथा उनके उपयोग किये जाने का सचित्र विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
2. ठोस अपशिष्ठ का प्रोसेसिंग एंव ड़िस्पोजल ठोस अपशिष्ठ के प्रोसेसिंग एंव ड़िस्पोज हेतु कुल आठ प्रश्न निर्धारित हैं जिसके कुल मार्क्स 350 निर्धारित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है।		
2.1	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु O&M लागत का कितना प्रतिशत रिकवरी UD tax/ user charges से की जाती है।	60 अंक
(निकायो को कुल परिवारों के आधार पर UD tax/ user charges की बसूली SWM गतिविधियों की कुल O&M लागत यथा संग्रहण लागत, वेतन उपकरण और पूँजीगत लागत, परिवहन लागत, संसाधन लागत सम्मिलित हैं, का प्रतिशत का विवरण प्रस्तुत करना होगा।)		
2.2	क्या शहर में स्थापित लेंड़ फिल स्वच्छ लेंड़ फिल (SLF) है?	60 अंक

(निकाओ को इस हेतु कचरे की मात्रा जिसको SLF में डम्प किया गया का विवरण यदि SLF बनाई जानी है, तो बनाई जाने वाली फर्म के साथ अनुबन्ध की प्रति या निविदा आंमत्रित की गई है तो उसका विवरण तथा SLF हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हीकरण से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें)		
2.3	गीले कचरे का प्रोसेसिंग कां प्रतिशत (Centralized or decentralized processing)	50 अंक
(निकायो को कुल उत्पन्न गिले कचरे का आंकलन कर (सामान्यतया कुल उत्पन्न कचरे का 40% तक) कुल decentralized processing units का विवरण तथा Centralized processing plant का विवरण तैयार करना होगा साथ ही Waste processing capacity केवल चालु प्रोसेसिंग प्लांट की मानी जावेगी का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
2.4	सुखे कचरे का प्रोसेसिंग का प्रतिशत (Centralized or decentralized processing)	50 अंक
(निकायो को कुल खुले कचरे का आंकलन कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर कचरा बीनने वालो तथा वेस्ट क्लेक्शन सेंटर इत्यादि से इक्ट्ठा किये गये कचरे से waste to energy/ RDF (TPD की मात्रा) इस हेतु किये गये अनुबन्ध की प्रति तथा प्लास्टिक वेस्ट करे रोड़ बनाने में उपयोग लिये जाने का विवरण इत्यादि विवरण प्रस्तुत करने होगें)		
2.5	लेंड़ फिल तक आने वाले जैविक कचरे (Biodegradable) का प्रतिशत	40 अंक
(निकायो द्वारा कुल Biodegradable waste का निर्धारण ,उत्पादन एंव उसका कलेक्शन तथा उसका कितना प्रतिशत कम्पारेट बनाया गया, कि लोगबुक संधारण प्रोसेसिंग के उपरान्त कितना प्रतिशत कचरा SLF में ले जाया जाता है, का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
2.6	विद्यमान Dump site के उपचार हेतु उठाये गये कदम तथा उसकी वर्तमान स्थिति	40 अंक
(निकायो को इस हेतु वर्तमान Dump site को लेवलिंग किये जाने का अनुबन्ध पत्र/Dump site closer का प्रमाण/सत्यापन कराया जाना होगा)		
2.7	कम्पारेट खाद का विकय (उत्पादन का प्रतिशत)	30 अंक
(निकायो को वर्ग 2017 में आखरी के 6 माह में कम्पोस्ट बनाने का विवरण उसका कितना प्रतिशत का विक्रय किया गया का विवरण की लोगबुक प्रस्तुत करनी होंगी। इसमें Decentralized composting भी सम्मिलित की जायेगी)		
2.8	क्या शहर हेतु नामित कम्पोस्ट उत्पादक mFMS पोर्टल पर पंजीकृत है? तथा उत्पादक नियमित रूप से उत्पादन संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करते है?	20 अंक
(निकायो को इस हेतु कम्पोस्ट उत्पादको की सूचि बनानी जाकर उनसे उत्पन्न होने वाली कम्पोस्ट का विवरण तैयार करना होगा)		
3. स्वच्छता/खुले में शौच से मुक्ति हेतु निर्धारित 11 प्रश्नो के आधार पर कुल 420 अंक दिये जावेंगे जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं।		
3.1	ODF Status	110 अंक
(निकायों को स्वय द्वारा ODF घोषित किये जाने के प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
3.2	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के संधारण संचालन की कितनी प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति शौचालय भूमि/भवन के व्यावसायिक प्रयोग से अर्जित राजस्व से होती हैं?	56 अंक
(निकायो द्वारा इस हेतु शहर में उपलब्ध सीटे /शौचालयो की संख्या का विवरण तैयार कर O&M चार्जेज /यूजर चार्जेज का निर्धारण कर आय के स्त्रोतो का आंकलन कर SHG/NGO के माध्यम सें उपयोगकर्ता शुल्क जमा करवाने का विवरण व दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे)		

3.3	क्या टेंक (सेप्टिक टैंक/सोकपिट) खाली करने वाले ठेकेदार पँजीकत है एंव उनकी निगरानी की जा रही है?	42 अंक
(निकायो को टैंक खाली करने वाले ट्रक ऑपरेटरो को लाइसेंस जारी कर उपयोग कर्ता के शुल्क को परिभाषित करना स्लज का सुरक्षित ड़िस्चार्ज करना एंव उनकी मेपिंग करना, पँजीकरण ट्रकों की रिपोर्ट एंव उनकी लोगबुक का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
3.4	क्या शहर में STP/FSTP सुविधा उपलब्ध है?	42 अंक
(निकायो क्षेत्र में कार्यशील STP/FSTP का विवरण प्रतिदिन उपचारित होने वाले मल की क्षमता के विरूध उपचारित किये जा रहे मल का विवरण तथा STP/FSTP का स्थान एंव शहर से दूरी का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
3.5	व्यक्तिगत शौचालयों (IHHLs) के सत्यापित आवेदनों में से कितने प्रतिशत शौचालयो का निमार्ण हो चुका है?	32 अंक
(निकायों द्वारा सत्यापित आवदनों की सूची स्थान का विवरण, फोटो एव स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदनों की सूची प्रस्तुत करनी होंगी)		
3.6	कितने प्रतिशत निर्मित IHHL मे जलापूर्ति (water Connections) उपलब्ध हेतु	32 अंक
निकायों को इस हेतु IHHL वाले घरो की सूची (water Connections) वाले घरो की सूची और पानी के बिल की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगी)		
3.7	IHHLs हेतु आवेदन स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड किये गये का प्रतिशत	22 अंक
(निकायों को IHHL के लिये आवेदकों की सूची व स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किये आवेदनों की सूची उपलब्ध करवानी होंगी)		
3.8	IHHL हेतु स्वच्छ भारत के पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदनों मे से स्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत	22 अंक
(निकायों द्वारा सत्यापित आवेदनों की सूची व उनको स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर सत्यापित एंव अपलोड़ किये गये आवेदनों की सूची उपलब्ध करवानी होगी)		
3.9	निर्धारित लक्ष्यो के विरूद्व निर्मित सामुदायिक शौचालयों का प्रतिशत (स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 31.12.2017 की स्थिति से)	22 अंक
(निकायों को सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्यो का विवरण तथा जिनके घरो में IHHL बनाने की जगह नही हो उन्हें 500 मीटर की दूरी के भीतर सामुदायिक शौचालयों उपलब्ध हो का विवरण प्रस्तुत करना होंगा)		
3.10	निर्धारित लक्ष्यो की विरूद्व निर्मितं सार्वजनिक शौचालयों का प्रतिशत (स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 31.12.2017 की स्थिति से)	22 अंक
(निकायों को इस हेतु सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों मे एक किलोमीटर की दूरी के भीतर सार्वजनिक शौचालय होने एंव लक्ष्यों के विरूध निर्मित शौचालयो की संख्या स्थान का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
3.11	क्या जनता सभी ईंधन पम्प के शौचालयो की सुविधा का उपयोग कर सकती है?	18 अंक
(निकाओ द्वारा अधिसूचना जारी करनी होगी कि शहर में उपलब्ध कुल ईधन पम्पों पर कुल कितने शौचालय है तथा उनमें से नागरिको के लिये पहुंच प्रदान करने वाले ईंधन पम्पों की कुल संख्या का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
4. आई. ई. सी. एंव व्यवहार परिवर्तन (IEC&BC) हेतु निर्धारित कुल 7 प्रश्नों के आधार पर 70 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है।		
4.1	क्या स्वच्छ होटल/RWA /मोहल्ला /मार्केट व्यापार संघों को श्रेणी बद्ध (Ranking) किया गया है?	20 अंक

(निकाय सभी हौटल /RWA /स्कूल/मोहल्ला एंव व्यापार संघो की सूची तैयार कर स्वच्छता रेंकिंग के दस्तावेज एंव रेकिंग हेतु अपनाये गये विधि के दस्तावेज, परिणामों की घोषणा चित्र एंव मिड़िया कवरेज इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
4.2	सामुदायिक एंव सार्वजनिक शौचालयों पर ICT आधारित निगरानी।	16 अंक
(निकायो को सभी CT/PT की सूचि, सर्च एजेन्सी द्वारा गुगल सर्वर से मॉनिटरिंग तथा निकाय द्वारा इसका सत्यापन, डिवाइस की स्थापना के बाद प्राप्त प्रति क्रियाओं की समीक्षा Google Toilet Locator का दस्तावेजीकरण Cityzen Feedback System की खरीद/स्थापना का अनुबन्ध पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
4.3	Segragation at source एंव Swachh Shauchalaya हेतु सरकार द्वारा संचालित अभियानो का स्थानीय स्तर पर प्रयोग।	11 अंक
(निकायो को शहर में RWAs /CTs/PTs की सूची तैयार कर RWAs/house धारा स्त्रोत पर पृथ्थीकरण अभियान का संचालन का चित्र मिडिया कवरेज तथा CTs/PTs पर स्वच्छ शौचालय /हॉड़िंग की स्थापना चित्र और मिड़िया कवरेज का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
4.4	क्या SBM Brand Ambassadors को औपचारिक रूप से सामुदायिक भागिदारी की गतिविधियों हेतु जोड़ा गया है?	6 अंक
(निकायो को ब्रांड़ एम्बेशेडर की संख्या तथा ब्रांड़ एम्बेशेडर के साथ की गई गतिविधियो का विवरण तथा उनका मिडिया कवरेज, फोटोग्राफ व दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें एक माह में कम से कम गतिविधि अगस्त से दिस्बर 2017 तक की जाने होगी।		
4.5	Segregation at source व decenlralized Composting संबधित RWAs/Religious Leaders, SHGs के साथ मिटिंग का विवरण।	6 अंक
(निकायो को आर.डब्लू.ए. धर्मगुरू, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि निकायों के साथ जुड़े हुये है, उनका विवरण तैयार करते हुए मिटिंगो का आयोजन कर उनके मिनिट्स जारी किये जाने तथा पूर्व में की गई मिटिंग के आऊटकम का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
4.6	सभी विद्यालयों में सक्रिय स्वच्छता समितियां।	6 अंक
(निकायो को शहर में स्थिल विद्यालयों का विवरण तथा विद्यालयों में गठित स्वच्छता कमेठी का विवरण तथा इन कमीटियों द्वारा स्वच्छता के प्रति की गई गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
4.7	आसपास के गांवो में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता ड्राइव एंव प्रदर्शन।	5 अंक
(निकायो द्वारा किसानों द्वारा खरीदी गई कम्पोस्ट खाद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा किसानों की लिस्ट तैयार कर उनके मोबाइल न0 इत्यादि की सूचना तैयार करते हुए नगर निकायों के 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की सूचि तैयार करते हुए उनको कम्पोस्ट खाद को काम में लेने प्रेरित किये जाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
5. CB हेतु निर्धारित कुल 4 प्रश्नों हेतु 70 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है।		
5.1	PIU की स्थापना जिसमें MIS एंव IEC expert हो।	30 अंक
(निकायों द्वारा PIU में कार्यरत व्यक्तियों की सूचि तथा उनको आउटासोर्स की जाने का दस्तावेज व उनको किये गये भुगतान का विवरण प्रस्तुत करना होगा)		
5.2	अन्य शहरो में EXPOSURE VISIT कार्यशालाओं में शामिल होने के लिए निकायों द्वारा भेजे गये कर्मचारियों की संख्या।	16 अंक
(निकायों को एक्सपोजर विजिट हेतु भेजे गये स्टाफ का विवरण तैयार कर आवश्यकता अनुसार जिस शहर में भेजा गया वहा से प्रमाणीकरण के दस्जावेज प्रस्तुत करने होगें)		
5.3	E-Learning Plateform पर निकाय कर्मचारियों द्वारा किये गिये कोंसेज एंव प्रमाण–पत्रों की संख्या (SI&above)	12 अंक

(निकायो द्वारा Sanitary inspector and above की लिस्ट तैयार करते हुए उनके द्वारा किये गये कॉसेज की संख्या एंव उसका प्रमाणीकरण भारतसरकार से करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
5.4	E-Learning Plateform पर निकाय कर्मचारियों द्वारा किये गिये कॉसेज एंव प्रमाण–पत्रों की संख्या। (Junior Engineer and above)	**12 अंक**
(निकायो द्वारा Junior Engineer and above की लिस्ट तैयार करते हुए उनके द्वारा किये गये कॉसेज की संख्या एंव उसका प्रमाणीकरण भारत सरकार से करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)		
6. Inovation/Best Practises हेतु कुल 70 अंक निर्धारित है। *(निकायों को 1 जनवरी 2017 से 30 अक्टुबर 2017 में बीच किये गये Inovation/Best Practises का मूल्यांकन किया जावेगा)*		

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि उरोक्तानुसार स्वच्छ र्स्वेक्षण 2018 हेतु पेरामिटर्स को ध्यान में रखते हुये स्वच्छ र्स्वेक्षण 2018 की संपूर्ण तैयारियां करते हुए अपने शहर को अच्छी पायदान पर लाने के लिये व्यक्तिगत प्रयास करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 17467 – 519
दिनांक :– 26/10/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता